भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 842

उत्तर देने की तारीख- 23/07/2026

प्रधानमंत्री वन धन योजना का कार्यान्वयन

842. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री वन धन योजना ने राजमुंदरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में लघु वन उपज के मुद्रीकरण द्वारा जनजातीय अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित रूप से परिवर्तित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2025-26 के दौरान उक्त क्षेत्र में स्थानीय जनजातीय महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्थापित और संचालित वन धन विकास केंद्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या निःशुल्क आधुनिक प्रसंस्करण टूलकिट के प्रावधान ने कारीगरों को शहद और इमली जैसे उत्पादों में वाणिज्यिक मूल्य संवर्धन करने में सक्षम बनाया है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) जनजातीय संग्रहकर्ताओं को स्थानीय बिचौलियों द्वारा किए जाने वाले वित्तीय शोषण से बचाने के लिए किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य हस्तक्षेपों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्थानीय जनजातीय सहकारी समितियों को प्रमुख राष्ट्रीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर शामिल करके प्रसंस्कृत वन उत्पादों के लिए प्रत्यक्ष बाजार संपर्क की सुविधा प्रदान करने के लिए भविष्य में क्या कदम उठाने की योजना है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख): जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) के माध्यम से वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एलुरु, पूर्वी गोदावरी और काकीनाडा जिलों के कुछ हिस्सों को कवर करते हुए, राजमुंदरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 114 वीडीवीके (110 पीएम जेवीएम के तहत और 4 पीएम जनमन के तहत) को स्वीकृति दी गई है। इन वीडीवीके ने लघु वन उपज (एमएफपी) के मूल्य संवर्धन और विपणन की सुविधा प्रदान की है, जिससे जनजातीय परिवारों की आय और आजीविका में सुधार हुआ है।

110 पीएमजेवीएम वीडीवीके 120 जनजातीय स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से संचालित किए जाते हैं, जिसमें लगभग 3,600 सदस्य, मुख्य रूप से महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 4 पीएम जनमन वीडीवीके में 200 पीवीटीजी सदस्यों के साथ 20 एसएचजी शामिल हैं। हालांकि, वर्ष 2025-26 के दौरान इस क्षेत्र में कोई नया वीडीवीके स्थापित नहीं किया गया था।

(ग): वन धन पहल के तहत, पात्र वीडीवीके को मूल्य संवर्धन या शहद, इमली, हल्दी और अन्य वन उपज जैसे एमएफपी के लिए आधुनिक प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) टूलकिट और बुनियादी ढांचा प्रदान किया गया है। इन सुविधाओं ने उत्पाद गुणवत्ता में सुधार किया है, मूल्य संवर्धन शेल्फ लाइफ (अवधि) और विपणन योग्य मूल्य वर्धित (संवर्धित) उत्पादों के उत्पादन को सक्षम बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप जनजातीय कारीगरों और एसएचजी सदस्यों के लिए बेहतर विक्रय और आय में वृद्धि हुई है। इन वीडीवीके ने आंध्र प्रदेश राज्य में अपने जनजातीय सदस्यों के लिए बिक्री के माध्यम से ₹508.80 लाख की आय अर्जित की है।

(घ): पीएमजेवीएम योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों के लिए लागू 87 लघु वन उपज (एमएफपी) वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अधिसूचित किया है। राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) को अधिसूचित एमएसपी पर अजजा एमएफपी संग्रहकर्ताओं से एमएफपी की खरीद के लिए परिक्रामी निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे एमएफपी का बाजार मूल्य अधिसूचित एमएसपी से कम होने की दशा में एमएफपी संग्राहकों को उनके प्रयासों के लिए एक सुरक्षा कवच उपलब्ध होता है। आज की तारीख तक, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने योजना के तहत कवर किए गए एमएफपी की खरीद के लिए एसआईए-गिरिजन सहकारी निगम, विशाखापट्टनम को 828.75 लाख रुपये की राशि जारी की है, जिसके माध्यम से एसआईए ने आंध्र प्रदेश राज्य में अजजा एमएफपी संग्रहकर्ताओं से 2,056.59 लाख रुपये के मूल्य के एमएफपी की खरीद की है।

(ङ.): सरकार ने वीडीवीके के माध्यम से वन उपज के मूल्य संवर्धन और ब्रांडिंग का विस्तार करके, ट्राइफेड और राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से विपणन समर्थन को मजबूत करके, क्रेता-विक्रेता लिंकेज की स्थापना करके, प्रदर्शनियों में भागीदारी और वीडीवीके उत्पादों को ओएनडीसी और ट्राइब्सइंडिया डॉट कॉम प्लेटफार्मों पर लाकर बाजार पहुंच को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव किया है।
